



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2011/वैशाख 12, 1933

No. 225]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2011/VAISAKHA 12, 1933

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 352(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मीन उद्योग, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1992 को, जहाँ तक उसका संबंध अनुदेशक (प्रचालन/मत्स्यन/क्राफ्ट एवं गियर) के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के केंद्रीय मीन उद्योग, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में ज्वेष्ट अनुदेशक (मत्स्यन प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, ज्वेष्ट अनुदेशक (मत्स्य ग्रहण) समूह "क" पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ अनुदेशक, (मत्स्य ग्रहण प्रौद्योगिकी)	6* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600-39100 रुपये तथा ग्रेड वेतन 5400 रुपये)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
<p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले के पाँगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणी विज्ञान अथवा मात्स्यकी उद्योग में मास्टर डिग्री; अथवा केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई से मात्स्यकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
- (2) समुद्री मात्स्यकी, मत्स्य ग्रहण गियर डिजाइन रूपांकन और वस्तु चयन में तीन वर्ष का अनुभव।

अथवा

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मात्स्यकी विज्ञान (नौवहन विज्ञान में बैचलर डिग्री)

नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

(7)

(2) समुद्री मात्स्यिकी, मत्स्य ग्रहण रूपांकन और वस्तु चयन में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : 1—अर्हताएं अथवा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

66.67% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने

पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा

33.3% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2, 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 रुपए में ऐसे मात्स्यिकी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो तथा 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 रुपए में ऐसे अनुदेशक (मत्स्यग्रहण प्रौद्योगिकी) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1:—अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी या पद पर विहित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश पर प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2:—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा, की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3:—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनभान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी—

क(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(11)

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है।

पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- | | |
|---|----------|
| 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (मत्स्यकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग | —सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग | —सदस्य |
| 4. मत्स्यकी विकास आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग | —सदस्य |
| 5. निदेशक, केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन | —सदस्य |

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- | | |
|--|----------|
| 1. संयुक्त सचिव (मत्स्यकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग | —अध्यक्ष |
|--|----------|

(12)

- | | |
|---|--------|
| 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग | —सदस्य |
| 3. मत्स्यकी विकास आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग | —सदस्य |
| 4. निदेशक, केंद्रीय मत्स्य उद्योग, नौवहन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन | —सदस्य |

[मि. सं. 3-30/2007-मा. प्र.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Animal, Husbandry, Dairying and Fisheries)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2011

G.S.R. 352(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 1992, in so far as they relate to the post of Instructor (Operation/Fishing/Craft & Gear), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Instructor (Fishing Technology) in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Senior Instructor (Fishing Technology) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Instructor (Fishing Technology)	6*(2011) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600- 39100+ Grade Pay of Rs. 5400	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

(6)

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p>(i) Master's Degree in Zoology or Fishery Science or Industrial Fisheries from a recognized university;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>Post Graduate Diploma in Fishery Science from Central Institute of Fishery Education, Mumbai.</p> <p>(ii) Three years' experience in Marine Fisheries, Fishing Gear Design, Fabrication and material selection; or</p> <p>(i) Bachelor of Fishery Science (Nautical Science) from a recognized university;</p> <p>(ii) Five years' experience in Marine Fisheries, Fishing Gear Design, Fabrication and material selection.</p>	No	One year for direct recruits and promotees
<p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p>		
<p>Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission' is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		
<p>Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>	<p>In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made</p>	
(10)	(11)	
<p>66.67% promotion failing which by deputation (including short-term contract)</p>	<p>Promotion : Fishery Officer in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 with three years regular service in the grade</p>	

(10)

33.3% deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(11)

and Instructor (Fishing Technology) in pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 with eight years regular service in the grade.

Note : 1. The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Note : 2. Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note : 3. For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer, prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/grade scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation (including short-term contract).

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognized research Institutions or public sector undertakings or Semi Government or Autonomous bodies or Statutory organizations—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or,

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-2 of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].

Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (date from which the revised pay structure based on, the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall

(11)

be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of—

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, | —Member |
| 3. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member |
| 4. Fisheries Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member |
| 5. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin | —Member. |

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of—

- | | |
|---|-----------|
| 1. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Chairman |
| 2. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member |
| 3. Fisheries Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member |
| 4. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin | —Member. |

[F. No. 3-30/2007- Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.